Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 199 /10 अधिप्राप्ति/2022 दिनांक– 13/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में सेतुओं के निर्माण (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 39/10अधि0प्राप्ति/20 दिनांक 07.01.2021 के द्वारा निर्धारित की गयी थी। वर्तमान में बाजार की दरों में बढ़ोत्तरी तथा सामग्री, श्रमिकों व ढुलान की दरों में वृद्वि होने फलस्वरूप समिति की संस्तुति के आधार पर सेतुओं के निर्माण (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें संलग्नानुसार निर्धारित की जाती है।

यह दरें मात्र प्रारम्भिक आगणन गठित करने हेतु प्रयोग की जायेंगी एवं दिनांक 22.01.2026 से प्रभावी होंगी।

(संलग्न–03 पृष्ठ)

(इं0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,यमुना कालोनी देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
8. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
9 मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान, विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
10. प्रबन्धक निदेशक गढ़वाल/कुमायूं मण्डल विकास निगम देहरादून/नैनीताल।
11. प्रबन्धक निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
12. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, नियोजन– I, II, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0,देहरादून।
13. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त तकनीकी स्टाफ, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0,देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

बाजार की दरों में बढ़ोतरी होने के कारण सेतुओं के निर्माण हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 1216 / 10अधि0प्रा0 / 2025 दिनांक 08.12.2025 द्वारा सेतुओं के प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु मानक दरों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं को पुनरीक्षण कर पत्र प्रेषण के माध्यम से निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में अधीक्षण अभियन्ता प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / छठा / सप्तम् / अष्टम् / नवम् / द्वाद्वष / सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग अल्मोडा / नैनीताल / पिथौरागढ / उधमसिंहनगर / उत्तरकाशी / गोपेश्वर / टिहरी / देहरादून / पौडी / हरिद्वार से प्राप्त प्रस्तावों विगत तीन (03) वर्षों में शासन को प्रेषित डी0पी0आर0 के आधार पर दरों के पुनरीक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता, महोदय द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है:–

1.	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता (नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य
5.	वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियन्ता, 9 वॉं वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य
7.	इं0 जितेन्द्र त्रिपाठी अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य
8.	इं0 हरीश सिंह, सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।	सदस्य

समिति के सम्मुख समस्त वृत्तों द्वारा उक्तानुसार प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण का प्रस्तुतिकरण कर सांख्यिकी विश्लेषण Growth Rate के आधार पर दरों का निर्धारण किया गया। प्रस्तुतिकरण उपरान्त दरों पर सम्यक विचार करते हुए निम्नानुसार दरों की संस्तुति की गयी:–

उत्तराखण्ड राज्य में सेतुओं के नवनिर्माण (प्रथम चरण) हेतु मानक दरें

(दरें लाख रू0 प्रति मीटर)

क्र. सं.	मद	सिंगल लेन क्लास A लोडिंग	1.50 लेन क्लास A/70R लोडिंग	डबल लेन क्लास A/70R लोडिंग
(अ) मोटर सेतु (पर्वतीय क्षेत्र सेतु)				
1	मोटर सेतु–लम्बाई 30 मीटर तक	0.350	0.365	0.383
2	मोटर सेतु–लम्बाई 30 से 60 मीटर तक		0.316	0.330
3	मोटर सेतु–लम्बाई 60 मीटर से अधिक		0.240	0.257
(ब) मोटर सेतु (मैदानी क्षेत्र सेतु)				
1	मोटर सेतु–लम्बाई 30 मीटर तक	0.244	0.260	0.263
2	मोटर सेतु–लम्बाई 30 से 60 मीटर तक		0.229	0.241
3	मोटर सेतु–लम्बाई 60 मीटर से अधिक		0.178	0.183
4	10 मीटर से अधिक गहराई हेतु प्रति कुआं प्रति मीटर अतिरिक्त		0.073	0.085
(स) पैदल सेतु				
1	आर0सी0सी0/आर्च सेतु–स्पान 20 मीटर तक	0.146		
2	स्टील सेतु	0.145		
3	मोटर सेतु–लम्बाई 60 मीटर से अधिक	0.172		

नोट:–

1. उपरोक्त दरों पर कोई इंडेक्स देय नहीं होगा तथा सभी प्रकार की T&P सम्मिलित हैं।
2. उपरोक्त दरों में IRC.SP:54-2000-Project Preparation Manual for Bridges के अनुसार समस्त आवश्यक कार्यों हेतु दरें सम्मिलित हैं।
3. उपरोक्त दरों में सेतु के Foundation, Substructure एवं Superstructure के डिजायन को मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी संस्थान यथा आई0टी0आई0, एन0आई0टी0 अथवा विभाग द्वारा नामित एजेन्सी से Vetting कराये जाने की लागत सम्मिलित है।

(इं0 हरीश सिंह)
सहायक अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
देहरादून

(इं0 सतीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
देहरादून

(इं0 ओमपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,, नवम् वृत्त
लो0नि0वि0, देहरादून

(इं0 मनोज बिष्ट)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।।
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, देहरादून

(इं0 राजेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (नियोजन)
लो0नि0वि0, देहरादून।

(इं0 [illegible] चन्द्र [illegible])
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, देहरादून।

नवनिर्माण (प्रथम चरण) हेतु निर्धारित प्रतिमीटर मानक दरों के आधार पर डी0पी0आर0 गठन की कुल लागत का विभिन्न मदों में विभाजन

क्र. सं.	मद	डी0पी0आर0 गठन की कुल लागत का प्रतिशत
A) Feasibility Study (14%)		
1	Geological Investigation and submission of report	2.00%
2	Hydrological Investigation, Analysis and Design including preparation and submission of design report	5.00%
3	Topographic Survey, Traffic Survey (if required) and preparation of 4 no. Longitudinal Section & Cross Section for site selection and preparation of final GAD after site selection and other drawings as required.	7.00%
B) Geotechnical Investigation and Design of Foundation and Substructure including vetting from reputed technical institute or agency finalized by the Client (50%)		
4	Geotechnical Investigation, carrying out the required sub soil exploration and laboratory tests including preparation and submission of report.	25.00%
5	Preparation of Design and Drawigs of foundation and Sub Structure including submission of design report and drawings in hard and soft copy formats.	25.00%
C) Design of Superstructure and Bearings including vetting from reputed technical institute or agency finalized by the Client (30%)		
6	Preparation of Design and Drawigs of Superstructure, Bearings including submission of design report and drawings in hard and soft copy formats.	30.00%
D) Preparation of Reports and Land Acquisition Cases (6%)		
7	Preparation of Submission of various DPR Reports (Inception Report, Preliminary Project report, Draft Detailed Project Report, Final Detailed Project Report)	2.00%
8	Preparation of Land Acqusition Case including forest land transfer case	3.00%
9	Other Miscellaneous Items	1.00%

(इं0 हरीश सिंह)
सहायक अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
देहरादून

(इं0 सतीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
देहरादून

(इं0 अमपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,, नवम् वृत्त
लो0नि0वि0, देहरादून

(इं0 मनोज बिष्ट)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर,–।।
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, देहरादून

(इं0 राजेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (नियोजन)
लो0नि0वि0, देहरादून।

(इं0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य में सेतुओं के नव निर्माण हेतु अनुमानित दरें

दरें लाख रू0 प्रति मीटर

क्र0 स0	मद	सिंगल लेन क्लास A लोडिंग	1.50 लेन क्लास A/70R लोडिंग	डबल लेन क्लास A/70R लोडिंग
अ	स्टील गर्डर/स्टील ट्रस मोटर सेतु	7.89	8.02	11.80
1	मोटर सेतु स्पान 18 मीटर से 30 मीटर तक		9.73	12.93
2	मोटर सेतु स्पान 31 मीटर से 50 मीटर तक		11.95	13.59
3	मोटर सेतु स्पान 51 मीटर से 70 मीटर तक		12.52	15.84
4	मोटर सेतु स्पान 71 मीटर से 90 मीटर तक		13.81	17.57
5	मोटर सेतु स्पान 90 से अधिक			
ब	आर0सी0सी0 /प्री स्टेस मोटर सेतु	6.50	6.84	7.77
1	आर0 सी0 सी0 मोटर सेतु स्पान 18 मीटर तक		8.89	9.82
2	प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मोटर सेतु स्पान 30 मीटर तक			
3	प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मोटर सेतु स्पान 30 मीटर से अधिक (ओपन फाउंडेशन/कुँए 10 मी0 गहराई तक)		10.13	14.09
4	10 मी0 से अधिक गहराई हेतु प्रति कुओं प्रति मीटर अतिरिक्त		2.77	2.75
5	प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बॉक्स गर्डर मोटर सेतु -स्पान 30 मीटर से 60 मीटर तक			12.28
स	पैदल सेतु	2.05		
1	आर0सी0सी0/आर्च ब्रिज 20 मीटर स्पान तक	3.41		
2	पैदल लोह सेतु 40 मीटर तक स्पान	4.14		
3	झूला पुल 41 से 70 मीटर तक स्पान	6.22		
4	झूला पुल 71 से 100 मीटर तक स्पान	6.60		
5	झूला पुल 101 से 180 मीटर तक स्पान	5.69		
6	झूला पुल 180 मीटर से अधिक स्पान			

नोटः-

1. यह दरें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर आदि रेल हैड पर निर्धारित की जाती है।
2. मोटर सेतु हेतु सुरक्षात्मक कार्यों हेतु प्राविधान वास्तविक माप के आधार पर अलग से जोड़ा जायेगा। पैदल सेतु हेतु सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सेतु की लागत का 10 प्रतिशत अलग से जोड़ा जायेगा।
3. मोटर सेतु हेतु पहुंच मार्ग हेतु प्राविधान वास्तविक लम्बाई के आधार पर जोड़ा जायेगा। पैदल सेतु हेतु पहुंच मार्ग हेतु प्राविधान 300 मीटर लम्बाई में प्रत्येक ओर किया जायेगा।
4. उपरोक्त दरों में Contingencies, T&P and Quality Control हेतु प्राविधान शामिल है।
5. उपरोक्त दरें सेतुओं के स्पान के आधार पर अनुमन्य होगीः-
6. निकटतम रेल हेड से दूरी इन्डैक्स निम्न प्रकार देय होगाः-
   अ-पक्के मोटर मार्ग पर प्रति 10 किमी0 या उसके अंश 5 किमी0 से अधिक पर 1 प्रतिशत।
   ब-कच्चे मोटर मार्ग पर प्रति 10 किमी0 या उसके अंश 2.50 किमी0 से अधिक पर 1.50 प्रतिशत।
   स-मोटर सेतु हेतु अश्व/पैदल दूरी देय नहीं होगी।
7. ऊँचाई हेतु इन्डैक्स निम्न प्रकार देय होगाः-

अ-1500 मीटर तक	-	शून्य
ब-1501 मीटर से 2100 मीटर तक	-	1 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।
स-2101 मीटर से 2400 मीटर तक	-	6 प्रतिशत + 3 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।
द-2401 मीटर से अधिक	-	15 प्रतिशत + 5 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।

(इं0 हरीश सिंह)
सहायक अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
देहरादून

(इं0 सतीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,
देहरादून

(इं0 ओमपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,, नवम् वृत्त
लो0नि0वि0, देहरादून

(इं0 मनोज बिष्ट)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर,-11
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, देहरादून

(इं0 राजेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (नियोजन)
लो0नि0वि0, देहरादून।

(इं0 राजेश शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, देहरादून।